



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भगवान देवनारायण जी की 1113वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेदम, सांसद मदन राठौड़, देवनारायण बोर्ड चेयरमैन ओमप्रकाश भड़ाना, राजस्थान अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग अध्यक्ष राजेन्द्र नायक, विधायक हंसराज मीणा, राजस्थान गुर्जर महासभा के प्रदेशाध्यक्ष काटूलाल गुर्जर सहित, कई जनप्रतिनिधिगण मौजूद थे।

‘गुर्जर समाज ने देश की सामाजिक संस्कृति को संजोये रखा है’

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भगवान देवनारायण की 1113वीं जयन्ती पर गुर्जरों के गौरवशाली इतिहास की सराहना की

जयपुर, 3 फरवरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार अति पिछड़ा वर्ग के कल्याण एवं उत्थान के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। गुर्जर समाज को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एवं कौशल के उचित अवसर उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। साथ ही, समाज की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने के लिए अहम कदम उठाए गए हैं।

मुख्यमंत्री शर्मा सोमवार को बिड़ला सभागार में देवनारायण जी की 1113वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गुर्जर समाज समर्पण से कार्य कर देश की अर्थव्यवस्था और प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इस समाज का इतिहास गौरवशाली रहा है। इस समाज ने न केवल युद्ध में अपना कौशल दिखाया, अपितु देश की

- मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने गुर्जर समाज को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार व कौशल के उचित अवसर उपलब्ध कराने के लिये कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये।
- उन्होंने कहा कि कुचामन सिटी- डीडवाना, बाली, कोटपूतली व नगर में देवनारायण आवासीय विद्यालय के लिये भूमि आवंटित की गई। नसीराबाद और तिजारा में देवनारायण बालिका छात्रावास के लिये भूमि आवंटन किया।

सामाजिक संस्कृति को संजोए रखने का भी कार्य किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अति पिछड़ा वर्ग के युवाओं को शिक्षा के उचित अवसर उपलब्ध कराने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि कुचामन सिटी-डीडवाना, बाली (पाली), कोटपूतली, पसोपा (नगर) में

देवनारायण आवासीय विद्यालय खोलने हेतु स्वीकृति जारी कर भूमि आवंटित कर दी गई है। नसीराबाद में देवनारायण बालिका छात्रावास के निर्माण हेतु कार्यदिश जारी कर भूमि आवंटित कर दी गई है। तिजारा में देवनारायण बालिका छात्रावास के लिए भूमि आवंटित कर भवन निर्माण के लिए

स्वीकृति जारी कर दी गई है। शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मंशानुरूप, हमारी सरकार विकास कार्यों के साथ-साथ विरासत संरक्षण का कार्य कर रही है। खादूर्याम मंदिर में कारिडोर निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस दौरान, गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेदम, सांसद मदन राठौड़, देवनारायण बोर्ड चेयरमैन ओमप्रकाश भड़ाना, राजस्थान अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग अध्यक्ष राजेन्द्र नायक, विधायक हंसराज मीणा, उदयलाल भड़ाना, दर्शन सिंह गुर्जर, धर्मपाल गुर्जर, जयपुर नगर निगम ग्रेटर महापौर डॉ. सोम्या गुर्जर, जाट महासभा के प्रदेशाध्यक्ष राजाराम मील, राजस्थान गुर्जर महासभा के प्रदेशाध्यक्ष कानूलाल गुर्जर सहित, जनप्रतिनिधिगण एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे।

अदालत ने बच्चों ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

से निकाल दिया। ऐसे में उसे बच्चों की अभिरक्षा दिलाई जाए। अदालत आदेश की पालना में बच्चों को अदालत में पेश किया गया। इस दौरान अदालत की जानकारी में आया कि याचिकाकर्ता की 11 साल की बच्ची का यूट्यूब चैनल है और उसके दादा-दादी उसकी उचित देखरेख नहीं करते। बच्ची अपने पिता के फोन से वीडियो अपलोड करती हैं और उससे होने वाली आय याचिकाकर्ता की नन्द के बेटे के पास जा रही है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता के बेटे के हाथों और चेहरे पर सूजन है और उसे लंबे समय से चिकित्सक को नहीं दिखाया गया। दूसरी ओर बच्चों ने कहा कि वह अपनी मां के साथ नहीं रहना चाहते, क्योंकि वह उन्हें मोबाइल का उपयोग करने और जंक फूड के लिए टोकती हैं। अदालत ने कहा कि मां ही बच्चों की प्राकृतिक संरक्षक होती है। बच्चों के दादा-दादी अनपढ़ हैं। ऐसे में बच्चों के सर्वोत्तम हित को देखते हुए उनकी कस्टडी मां को सौंपी जाती है।

भूतान नरेश...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

किया। वहीं, एयरपोर्ट पर कलाकारों ने भारतीय संस्कृति के अनुरूप विभिन्न प्रस्तुतियों से उनका स्वागत किया। वांग्चुक ने भी कलाकारों की होसला अफवाह की। भूतान नरेश मंगलवार को प्रयागराज महाकुम्भ जाएंगे। वे यहां संगम पर पावन त्रिवेणी स्नान व दर्शन-पूजन आदि करेंगे। महापौर सुभमा खर्कवाल, प्रमुख सचिव (गृह) संजय प्रसाद, डीजीपी प्रशांत कुमार, लखनऊ के जिलाधिकारी विशाख जो आदि ने एयरपोर्ट पर उन्हें पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया।

अमेरिका ने कैनडा व मैक्सिको...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सकती है। दूसरी तरफ, टैरिफ के कारण कैनडा की कई कंपनियां बंद हो सकती हैं।

दूसरी ओर मैक्सिको पर ट्रंप की टैरिफ के कारण जापानी कार निर्यात प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि जापान की कई कार कंपनियां अमेरिका को निर्यात करने के लिए मैक्सिको में काम करती हैं।

कैनडा के लोगों ने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया है कि ट्रंप अपने उत्तरी पड़ोसी के ऊपर चीन से भी अधिक टैरिफ क्यों लगा रहे हैं, जबकि चीन उनका घोषित प्रतिद्वंद्वी है।

अमेरिकी उद्योगों को पूरा करने के बजाय, यह कदम अमेरिका के लिए उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि कैनडा ने पहले ही अमेरिका से आयात होने वाले सामान पर मिलते-जुलते टैरिफ का ऐलान किया है, साथ ही कुछ कदम अमेरिका को कैनडा से होने वाले निर्यात पर भी उठाए हैं, जो पैट्रोल पंपों से लेकर कारिना स्टॉर्स तक, अमेरिकियों को प्रभावित करेगा।

वहीं चीन ने अपने आक्रोश को दबाकर रखा है। चीन ने प्रतिक्रिया देते हुए यह घोषणा की है कि वह वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन (डब्ल्यू.टी.ओ.) में जाकर शिकायत करेगा। यह एक तरह से शांति के प्रस्ताव के समान है। ट्रंप के व्यवहार को देखते हुए, संभव है कि वो शापदर इस इशारे को स्वीकार कर लें और चीन के साथ बातचीत शुरू कर दें।

ट्रंप और अमेरिका की चीन के विरुद्ध एक बड़ी शिकायत यह थी कि चीन फैंटेनल और इसकी बेसिक ड्रग्स की सप्लाई का मुख्य स्रोत है। इस दवा के व्यापक उपयोग ने अमेरिकी समाज में तबाही मचाई है और ड्रग ओवरडोज से होने वाली मौतों की संख्या सालाना 100,000 तक पहुंच चुकी है।

तथापि, चीन अपनी मुद्रा का डॉलर

के मुकाबले अवमूल्यन कर के आसानी से टैरिफ प्रभाव को खत्म कर सकता है। एक बहुत बड़ी टैरिफ वृद्धि, चीनी निर्यात को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है, हालांकि इसका असर अमेरिका में भी कीमतों पर पड़ेगा।

कैनडा और मैक्सिको के खिलाफ शिकायत यह है कि वे अविश्वसनीय अप्रवासियों को अमेरिका में घुसने की अनुमति देते हैं और फैंटेनल की आपूर्ति भी करते हैं। ट्रंप ने एक व्यापक कूटनीतिक शिकायत के आधार पर आर्थिक युद्ध छेड़ा है।

हालांकि, ऐसी शिकायतों के लिए पड़ोसियों के खिलाफ ऐसी आक्रमण कार्रवाही से पीठ में छुरा घोंपने जैसा महसूस हो रहा है। इस विश्वासघात पर कैनडा ने सबसे जल्दी प्रतिक्रिया दी।

चीन ने अमेरिका को...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

और व्यापारिक क्षेत्रों की ओर से जोरदार विरोध व्यक्त किया। यह चेतावनी दी कि अमेरिकी उपभोक्ता और व्यवसाय बड़ी हुई लागत और बाधित व्यापार गतिविधियों का बोझ उठाना पड़ेगा।

चीन के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने भी इन टैरिफ्स की आलोचना करते हुए कहा कि ये निराधार हैं और ड्रग नियंत्रण सहयोग के लिए हानिकारक हैं। प्रवक्ता ने चीन द्वारा फैंटेनल संबंधित पदार्थों को वर्गीकृत करने की ऐतिहासिक पहलू का उदाहरण दिया।

अमेरिकी सरकार और वैश्विक ड्रग नियंत्रण पहलों के लिए चीन की प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि की।

चीन ने कहा कि उसके योगदान के

बाद भी अमेरिका ने अभी तक फैंटेनल की सूचीबद्धता को स्थायी रूप से नहीं किया है। प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका में फैंटेनल संकट के लिए चीन को दोषी ठहराना, दोनों देशों के बीच विश्वास को कमजोर करता है। उन्होंने यह भी कहा कि इस समस्या का मूल कारण अमेरिका में घरेलू मांग और कानून के क्रियात्मकता में है। चीन ने अमेरिका से अपनी "गलतफहमी" को सुधारने और ड्रग नियंत्रण में सहयोगात्मक प्रगति की बनाए रखने की अपील की और स्वस्थ द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने का आग्रह किया। चीन ने यह भी कहा कि केवल आपसी सहयोग और तर्कसंगत उपायों के माध्यम से दीर्घकालिक समाधान प्राप्त किए जा सकते हैं।

को छोड़ दिया था, जिनमें धर्मनिरपेक्षता, द्रविड़ मॉडल तथा पेरियार, की.आर. अंबेडकर तथा पूर्व मुख्य मंत्रियों-सी.एन. अन्नादुरै तथा एम. करुणानिधि का जिक्र था।

तमिलनाडु के राज्यपाल को

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इस बीच, मुख्यमंत्री स्टालिन राज्यपाल रवि पर प्रहार करते हुए, उन पर आरोप लगाया कि राज्य की उन्नति को स्वीकार नहीं कर सके।

मुख्यमंत्री स्टालिन ने सदन में भाषण न देने तथा समापन पर राष्ट्रपान की प्रस्तुति के विरोध को लेकर राज्यपाल की आलोचना की। उन्होंने राज्यपाल रवि पर राजनैतिक रूप से प्रेरित व्यवहार का आरोप लगाया था, जो विधानसभा की गरिमा के लिए अपमानजनक तथा उनके पद के लिये अशोभनीय था।

मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा था, "सदन की गरिमा और जनभावनाओं का अपमान करने तथा तमिल स्टेट सॉन्ग के अस्मान का दुस्साहस करके, राज्यपाल ने राजनैतिक उद्देश्य से अपने पद की गरिमा कम की है। सदन ने ऐसी स्थितियों कभी नहीं देखीं तथा उसे फिर से देखने को मिलनी नहीं चाहिए।"

2024 में विधानसभा सत्र के दौरान, राज्यपाल रवि ने तमिलनाडु सरकार द्वारा तैयार किये गये तथा प्रथानुसार पढ़ेजाने वाले उद्घोषण भाषण के पढ़ने से इनकार कर दिया था तथा केवल पहला पैराग्राफ पढ़कर ही चले गये थे।

उस संबोधन में नये वर्ष में प्रसन्नता, समृद्धि तथा खुशहाली" की शेषकामनाएं शामिल थी तथा "तिरुक्कुरल" की दो पंक्तियाँ उद्धृत की गई थीं। उस समय, राज्यपाल ने एक घंटे के भाषण को तीन मिनट में निबटा दिया था तथा यह कहते हुये विधानसभा से चले गये थे कि वे भाषण के मूल पाठ को कुछ हिस्सों से असहमत हैं। इसके अलावा, उन्होंने राज्य पर राष्ट्रपान का अपमान करने का आरोप भी लगाया था।

2023 में इसी प्रकार का विवाद पैदा हो गया था, जब राज्यपाल रवि ने अपने नीतिगत संबोधन के उन हिस्सों

को छोड़ दिया था, जिनमें धर्मनिरपेक्षता, द्रविड़ मॉडल तथा पेरियार, की.आर. अंबेडकर तथा पूर्व मुख्य मंत्रियों-सी.एन. अन्नादुरै तथा एम. करुणानिधि का जिक्र था।

राहुल -प्रियंका ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड़ा ने यहां कस्टर्वा नगर क्षेत्र में विशाल रोड-शो किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता कांग्रेस पार्टी के ऐतिहासिक विकास कार्यों को याद कर रही है। इस बार दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बन रही है और यहां की जनता भाजपा तथा आम आदमी पार्टी की आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति से मुक्ति चाहती है।

आतंकवादियों ने कुलगाम में पूर्व सैनिक की हत्या की

श्रीनगर, 03 फरवरी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में सोमवार को आतंकवादियों ने एक पूर्व सैनिक को गोली मार दी, जिससे उनकी मौत हो गयी और इस हमले में उनकी पत्नी एवं बेटी घायल हो गईं। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि आतंकवादी बेहिबाग इलाके में पूर्व सैन्यकर्मी मंजूर अहमद वागे के घर में घुस गए और वहां रह रहे लोगों पर गोलीबारी की, जिसमें उनके सहित,

आतंकवादियों ने पूर्व सैन्यकर्मी के घर में घुस कर गोलियां चलाई-। सैनिक की पत्नी व बेटी भी घायल हुईं।

परिवार के तीन सदस्य घायल हो गए। घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां वागे ने दम तोड़ दिया। उनकी पत्नी और बेटी की हालत स्थिर बताई जा रही है। घटना के घुरंत बाद, सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी और अपराध के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों की तलाश शुरू कर दी। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कुलगाम में पूर्व सैनिक और उनके परिवार पर हुए जघन्य आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने आतंकी हमले में शहीद हुए मंजूर अहमद वागे को श्रद्धांजलि दी। उपराज्यपाल ने कहा, "कुलगाम में मंजूर अहमद वागे और उनके परिवार पर हुए जघन्य आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करती हूं।

महाराष्ट्र के सभी कार्यालयों में मराठी बोलना अनिवार्य किया

मुंबई, 3 फरवरी। महाराष्ट्र में मराठी भाषा को बढ़ावा देने के लिए देवेन्द्र फडनवीस की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। महाराष्ट्र में अब सभी सरकारी, अर्धसरकारी और नगर निगम कार्यालयों में मराठी बोलना अनिवार्य कर दिया गया है। मराठी भाषा में बोलने के लिए दफ्तर में साइन बोर्ड लगाने होंगे। वहीं, जानकारी के मुताबिक, सरकारी कार्यालयों में कंप्यूटर की-बोर्ड भी मराठी भाषा में

- फडणवीस सरकार का मराठी भाषा को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला।

होंगे। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक, सरकारी कार्यालयों में मराठी भाषा का इस्तेमाल न करने वालों के खिलाफ एक्शन की भी तैयारी है। जानकारी के मुताबिक, मराठी भाषा का इस्तेमाल करने से मना करने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने की बात कही गई है। इससे पहले, बीते शुक्रवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडनवीस नेपुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में तीसरे विश्व मराठी सम्मेलन को संबोधित किया था।

भाजपा ने सोनिया गांधी व पप्पू यादव के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया

बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति के संबोधन पर सोनिया गांधी और पप्पू यादव ने कमेंट किया था

नई दिल्ली, 3 फरवरी। भाजपा सांसदों ने सोमवार को कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी और लोकसभा के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया। बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति मुर्मू पर किए सोनिया और पप्पू यादव की टिप्पणियों पर नोटिस दिया गया है।

भाजपा के नोटिस में लिखा है कि, सोनिया गांधी-पप्पू यादव ने सर्वोच्च पद की गरिमा को कम करने के इरादे से भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ अपमानजनक और निंदनीय शब्दों का उपयोग किया है। इसलिए संसदीय विशेषाधिकार, नैतिकता और मर्यादा के उल्लंघन का नोटिस पेश किया गया है। दरअसल, हाल ही में राष्ट्रपति

नई दिल्ली, 3 फरवरी। भाजपा सांसदों ने सोमवार को कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी और लोकसभा के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया। बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति मुर्मू पर किए सोनिया और पप्पू यादव की टिप्पणियों पर नोटिस दिया गया है।

भाजपा के नोटिस में लिखा है कि, सोनिया गांधी-पप्पू यादव ने सर्वोच्च पद की गरिमा को कम करने के इरादे से भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ अपमानजनक और निंदनीय शब्दों का उपयोग किया है। इसलिए संसदीय विशेषाधिकार, नैतिकता और मर्यादा के उल्लंघन का नोटिस पेश किया गया है। दरअसल, हाल ही में राष्ट्रपति

नई दिल्ली, 3 फरवरी। भाजपा सांसदों ने सोमवार को कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी और लोकसभा के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया। बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति मुर्मू पर किए सोनिया और पप्पू यादव की टिप्पणियों पर नोटिस दिया गया है।

भाजपा के नोटिस में लिखा है कि, सोनिया गांधी-पप्पू यादव ने सर्वोच्च पद की गरिमा को कम करने के इरादे से भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ अपमानजनक और निंदनीय शब्दों का उपयोग किया है। इसलिए संसदीय विशेषाधिकार, नैतिकता और मर्यादा के उल्लंघन का नोटिस पेश किया गया है। दरअसल, हाल ही में राष्ट्रपति

बसंत पंचमी पर ढाई करोड़ श्रद्धालुओं ने महाकुंभ में अमृत स्नान किया

महाकुम्भ नगर, 3 फरवरी। महाकुम्भ प्रयाग की पावन भूमि पर ज्ञान की देवी मां सरस्वती के प्रकटय उत्सव, बसंत पंचमी पर सोमवार को गंगा, यमुना व अदृश्य सरस्वती के पवित्र पावन संगम में सुनहरे मौसम के बीच ढाई करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान किया।

सबसे पहले पंचायती निरंजनी अखाड़े के संतों ने संगम में अमृत स्नान किया। फिर सबसे बड़े जूना अखाड़े के साथ किन्नर अखाड़े ने डुबकी लगाई। स्नान 5 बजे तक सभी 13 अखाड़ों ने स्नान कर लिया।

संतों का आशीर्वाद लेने के लिए लाखों श्रद्धालु संगम पर थे। लोग नगा साधुओं की चरण रज माथे पर लगाते नजर आए। 30 से ज्यादा देशों के लोग भी अमृत स्नान देखने के लिए संगम पहुंचे। हेलिकॉप्टर से संगम पर 20 किंवदंत फूल बरखाए गए।

संगम जाने वाले सभी रास्तों पर 10 किमी तक श्रद्धालुओं का रेला लगा हुआ है। प्रयागराज जंक्शन से 8 से 10 किमी पैदल चलकर लोग संगम पहुंचे

- कड़ी सुरक्षा के बीच 13 अखाड़ों तथा करोड़ों लोगों का स्नान शांतिपूर्वक सम्पन्न हुआ
- तीन से अधिक देशों के लोग अमृत स्नान देखने संगम पहुंचे। हेलिकॉप्टर से संगम पर 20 किंवदंत फूल बरसाये गये।
- भीड़ को देखते हुए लेटे हनुमान मंदिर को बंद कर दिया गया। मेला क्षेत्र में सभी रास्ते वन-वे थे।

रहे हैं। भीड़ को देखते हुए लेटे हनुमान मंदिर को बंद कर दिया गया है। मेला क्षेत्र के सभी रास्ते वन-वे हैं।

महाकुंभ मेला में अखाड़ों के अमृत स्नान का क्रम सुबह पांच बजे से शुरू हुआ था, जो शाम तीन बजकर पांच मिनट तक चला। इस बीच अखाड़ों के साधु- संत अपने लकड़क रथों पर आरूढ़ होकर अपने शिविर से निकल कर संगम क्षेत्र में पहुंचे और वहीं से कुछ दूरी पर पैदल चलकर संगम में अमृत स्नान करते रहे। इटीग्रेटेड कमाण्ड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से सम्पूर्ण महाकुम्भ मेला क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरे व ड्रोन से चप्चे-चप्चे पर नजर

सैंकड़ों अवैध बंगलादेशियों को वापस क्यों नहीं भेजा

नई दिल्ली, 3 फरवरी। अवैध बांग्लादेशियों से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र से सवाल किया कि सैंकड़ों अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को उनके मूल देश वापस भेजने के बजाय उन्हें अनिश्चित काल के लिए भारत के हिरासत केंद्रों में रखने के पीछे मकसद क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए 6 फरवरी तक केन्द्र सरकार से जवाब

■ सुप्रीम कोर्ट ने बांग्लादेशियों को हिरासत केंद्रों में रखने का मकसद बताने के लिये केन्द्र सरकार प.बंगाल सरकार को अंतिम अवसर दिया।

‘आप आए, सदन...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

राहुल का मंत्र्यत्व यह था कि अगर भारत मजबूत होता तो चीन भारत में प्रवेश करने का दुस्साहन नहीं करता। उनका अधिकांश भाषण शांत एवं सुव्यवस्थित था।

उन्होंने सारे त्यर्थ एवं बिन्दु एक सुलझे हुये तथा धीर-गंभीर नेता की तरह प्रस्तुत किये, उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी के अशिष्ट भाषा की होड़ करने की कोई कोशिश नहीं की।

सुखद बात यह रही कि सत्तापक्ष ने उन्हें ध्यानपूर्वक सुना। अब निश्चित रूप से साफ प्रतीत होता है कि राहुल गांधी ने 2004 में जब उन्होंने चुनावी राजनीति में प्रवेश किया था, से लेकर अब तक उन्होंने एक लम्बी दूरी तय की है, एक सार्थक यात्रा की है।

कर्नाटक भाजपा प्रमुख ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उन्होंने कहा, "हम राज्य की भ्रष्ट सरकार से जुड़ा रहे हैं। राज्य की जनता और पार्टी के कार्यकर्ता जानते हैं कि मैं कैसे काम करता हूँ। मुझे यकीन है कि मैं इस पद पर बना रहूँगा और पार्टी को मजबूत बनाने के लिए काम करता रहूँगा।"

उन्होंने यकीन दर्शाया कि सब ठीक हो जाएगा। जब कर्नाटक में पार्टी के संगठन चुनाव हो जाएंगे जब विजयेन्द्र पत्रकारों से बात कर रहे थे तब पार्टी के कुछ एमएलए तथा एमएलसी मौजूद थे।

वर्तमान में भाजपा कर्नाटक इकाई के चुनाव हो रहे हैं। मंडल अध्यक्ष, जिला व राज्य स्तर के पदाधिकारी रह

जानकारों का कहना है कि उनके आत्मविश्वास का कारण उनके पिता हैं। उनके पिता का प्रदेश में भारी दबदबा है, इसलिए राष्ट्रीय नेतृत्व उन्हें नहीं करेगा।

चुके। हमारे यहां आंतरिक लोकतंत्र है। विभिन्न पदों के चुनाव हो रहे हैं। मुझे यकीन है कि मुझे फिर से अध्यक्ष बनने का अवसर मिलेगा।

आतंकवादियों ने कुलगाम में पूर्व सैनिक की हत्या की

श्रीनगर, 03 फरवरी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में सोमवार को आतंकवादियों ने एक पूर्व सैनिक को गोली मार दी, जिससे उनकी मौत हो गयी और इस हमले में उनकी पत्नी एवं बेटी घायल हो गईं। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि आतंकवादी बेहिबाग इलाके में पूर्व सैन्यकर्मी मंजूर अहमद वागे के घर में घुस गए और वहां रह रहे लोगों पर गोलीबारी की, जिसमें उनके सहित,

सुप्रीम कोर्ट ने जंगलों की कटाई पर रोक लगाई

नई दिल्ली, 3 फरवरी। सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र और राज्यों को वन क्षेत्रों की कटाई को लेकर कोई भी कदम उठाने को लेकर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन की पीठ ने 2023 वन संरक्षण कानून में संशोधन के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई की। केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि वह इस मामले में दायर आवेदनों पर तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करेंगे। पीठ ने सुनवाई चार मार्च के लिए टाल दी।

- अदालत ने जवाब पेश करने के निर्देश दिये
- चिड़ियाघर या वन सफारी शुरू करने के किसी भी प्रस्ताव के लिये सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी आवश्यक है। वन मंत्रालय, राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के वन क्षेत्रों का पूरा विवरण वैबसाइट पर डालेंगे।

नई दिल्ली, 3 फरवरी। सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र और राज्यों को वन क्षेत्रों की कटाई को लेकर कोई भी कदम उठाने को लेकर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन की पीठ ने 2023 वन संरक्षण कानून में संशोधन के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई की। केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि वह इस मामले में दायर आवेदनों पर तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करेंगे। पीठ ने सुनवाई चार मार्च के लिए टाल दी।

पिछले साल फरवरी में शीर्ष अदालत ने 2023 के संशोधित कानून के तहत जंगल की परिभाषा में लगभग 1.99 लाख वर्ग किलोमीटर वन भूमि को जंगल के दायरे से बाहर रखा था। पीठ ने बताया कि चिड़ियाघर खोलने या वन भूमि पर सफारी शुरू करने के किसी भी प्रस्ताव के लिए सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी आवश्यक है। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जंगल की परिभाषा का दायरा संशोधित कानून की धारा 1ए में सीमित किया जा रहा है। अदालत ने आगे कहा, "हम एक अंतरिम आदेश जारी करते हैं कि संरक्षित क्षेत्रों के अलावा अन्य वन क्षेत्रों में सरकार या किसी प्राधिकरण द्वारा अधिनियमित वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में संदर्भित चिड़ियाघरों और सफारी की स्थापना के